BANDA POLICE

-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 04.06.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना चिल्ला, पैलानी व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 03 वर्षीय बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज के निकट पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्री राजवीर सिंह गौर के नेतृत्व में आज दिनांक 04.06.2025 को सुबह थाना चिल्ला, पैलानी व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 03.06.2025 की रात्रि करीब 09.00 बजे थाना चिल्ला पर सूचना प्राप्त हुई कि एक 03 वर्षीय बालिका शाम करीब 04.00 बजे से घर से गायब है। सूचना पर तत्काल थाना चिल्ला पर अभियोग पंजीकृत कर बच्ची की बरामदगी हेतु टीमें गठित की गई संदिग्धों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति द्वारा बच्ची के साथ दुष्कर्म कर जंगल में छोड़ दिया गया है। तत्काल सर्च पार्टियां लगाई गई तथा बच्ची को घायल अवस्था में रात्रि करीब 02.00 बजे बरामद कर लिया गया तथा इलाज हेतु मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया जहां पर उसका बेहतर इलाज किया जा रहा है। प्रकरण में अभियुक्त, वादी का पड़ोसी व सजातीय है, जिसको पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है तथा जिला अस्पताल में उसका इलाज जारी है।

बरामदगी-

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 02 खोखा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

- सुनील निषाद पुत्र लोटन प्रसाद निवासी चकला थाना चिल्ला जनपद बांदा

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 76/25 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चिल्ला जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री सुखराम सिंह प्र0नि0 थाना पैलानी मय टीम
2. व0उ0नि0 श्री रामदिनेश तिवारी थाना चिल्ला मय टीम
3. एसओजी मय टीम